बंगाल में ऊर्जा के पुनः प्राप्त स्रोतों हेतु, राज्य सरकार की नोड एजेन्सी के माध्यम से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। दुर्गादुनेई ज्वारीय ऊर्जा परियोजना से प्राप्त अनुभव देश में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के आगे और विकास में सहायक होगा।

केन्द्रीय जांच ब्यूरों के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई

3299. **श्री रामगोपाल यादव**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 जून, 1998के "राष्ट्रीय सहारा" में "रिश्वत मामले में अपने अफसर को छोड़ दिया सी.बी.आई. ने" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों मेम भ्रष्टाचार व्याप्त है जिसके परिणामस्वरुप सूचना मिलने पर भी वह अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में एक जांच करने के बाद संबंधित कार्मिकों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है अथवा कार्रवाई करेगी?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और वित्त (बैंकिंग, राजस्व और बीमा मंत्रालय में राज्य मंत्री) श्री आर.जनार्दनन): (क) और (ख) जी, हां। समाचार की विषय वस्तु, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के मामला संख्या आर.सी.23(ए)/95डी.एल.आई. से संबंधित है। इस मामले में अभियुक्त से शिकायत प्राप्त होने पर व्यापक जांच-पड़ताल की गई। जांच करने पर, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरों के किसी भी कार्मिक के इस मामले में संलिप्त होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला।

(**क**) जी, नहीं। केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरों के कार्मिकों से संबंधित प्रत्येक शिकायत की व्यापक जांच-पड़ताल की गई है और कठोर कार्रवाई की गई है। केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरों के कार्मिकों के विरुद्ध ऐसे अपराधों से संबंधित कार्रवाई के परिणाम स्वरुप 2 कार्मिक बरखास्त कर दिए गए हैं, दो अन्य की वेतन वृद्धि रोक दी गई है और एक कार्मिक का ओहदा घटा दिया गया है।

(**ख**) उपर्युक्त (ग) के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता।

Pension-Related matters on the internet

3300. DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Department of Pensions and Pensioners' Welfare are planning to update their information system by putting all pension-related matters on the Internet;

(b) if so, the details of the speeifie informatioivfacilitics that would be made available on the Internet; and

(c) the present status of the project?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI R. JANARTHANAN): (a) to (c) There is a proposal, presently in the development phase, to provide through Internet relevant information on pension-related matters sueh as guidelines and orders relating to sanction of pension to civilian employees.

नौकरशीही की जिम्मेदारी पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय

3301. **श्री अनन्तराय देवशंकर दूवे**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने की गई कार्रवाई अथवा लिए गए निर्णय के परिणाम को जानने हेतु "न्यायिक समीक्षा" में सक्षम न्यायालय के प्रति नौकरशाही की जिम्मेदारी से संबंधित एक मामले को निपटाते हुए 13 फरवरी, 1997 को यह निर्णय दिया कि इस कार्रवाई के लिए अंततोगत्वा विभागाध्यक्ष/नामनिर्दिष्ट अधिकारी न्यायालय के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह है;

(ख) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई निर्देश जारी किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (बैंकिंग राजस्व और बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.जनार्दनन):(क) से (घ) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में हुए विलम्ब से संबंधित विशेष अनुमति याचिका में एक मामला सं. 1996 का 3337 [जे. टी. 1997 (2) एस.सी. 463] निबटा रहा था। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को रिट याची के मामले पर विचार करने और तर्कसम्मत आदेश द्वारा उसे दो महीने के भीतर निबटाने का निर्देश दिया था। न तो उक्त निर्देश का अनुपालन किया गया न ही प्रतिवादी ने उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में समय बढ़ाए जाने की मांग की। उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त आदेश का अनुपालन न किए जाने के कारण व्यक्तिगत रुप से प्रतिवादी के विरुद्ध (वाद) खर्च की शास्ति लगाई। इसी संद्रभ में ही उच्चतम न्यायालय ने, न्यायालय के प्रति नौकरशाही के जवाबदेही के बारे में टिप्पणी की। उक्त निर्णय से प्रतीत होता है कि न्यायालय की यह मंशा भी कि न्यायालय कते निर्देश का तुरन्त अनुपालन किया जाना अपेक्षित है और यदि ऐसा नहीं किया जाए तो उसके संबंध में, बिभागाध्यक्ष अथवा संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रुप से अत्रदायी/जिम्मेदार होंगे। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए-सुनाए गए निर्णय, सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा अनुपालन किए जाने हेतु देश के कानून बन जाते हैं।

IAS Offleers as Private Secretaries to Union Ministers

3302. SHRI AMAR SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whctlicr it is a fact tliat the practice of posting IAS officers as Private Secretaries to the Union Ministers has been reviewed; and

(b) if so, the details thereof and the action taken to stop this practice which creates lot of problems for the senior officers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI R. JANARTHANAN): (a) and (b) The practice of posting IAS officers as Private Secretaries to Ministers has been reviewed. There is, however, no change in the practice of posting IAS officers as Private Secretaries to Ministers.

भारतीय वन सेवा परीक्षा को हिन्दी में लिया जाना

3303. **श्री दिलीप सिंह जूदेव**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय वन सेवा की परीक्षा का माध्यम हिन्दी न बनाए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार हिन्दी को उक्त परीक्षा का माध्यम बनाने का है; और

(ग) इस परीक्षा को कब से हिन्दी में संपन्न कराया जाना प्रारंभ होगा?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त बैंकिंग राजस्व और बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. जनार्रदनन):(क) से (ग) विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग के पूर्व अध्यक्ष डा. सतीश चन्द्र की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ-समिति से अन्य बातों के साथ-साथ, संबिधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं को संघ-लोक- सेवा-आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं के माध्यम के रुप में लागू करने के मुद्दे की जांच करने के लिए कहा गया था। उपर्युक्त विशेषज्ञ-समिति द्वारा की गई सिफारिशों, इस समय सरकार के विचाराधीन हैं। उपर्युक्त मामले की महत्ता, नज़ाकत और इस विषय पर भिन्न-भिन्न मत होने के मद्देनज़र सरकार इस मामले में निर्णय से पहले मतैक्य-आम राय क़ायम करने का प्रयास कर रही है।

Demoralisation of Assistants Cadre

3304. SHRI SURYABHAN PATIL VAHADANE: Will the PRIME MINIS TER be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the act that the Assistants cadre forms the backbone of the Central Secretariat Service;

(b) wliether Government are aware of the wide-spread demoralisation of the Assistants cadre due to step-motherly treatment given by the Fifth Central Pay Commission;

(c) the steps Government propose to take to alleviate the status of this cadre